विषय-वस्तु

पैरा नं.	ब्योरे	पृष्ठ सं.
क	उद्देश्य	1
ख	वर्गीकरण	1
ग	पूर्व अनुदेश	1
घ	प्रयोज्यता	1
1.	प्रस्तावना	2
2.	दिशानिर्देश	2
2.1	एकल / सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र	2
2.1.1	उच्चतम सीमाएं	2
2.1.2	छूट	5
2.1.3	परिभाषाएं	6
2.1.4	समीक्षा	11
2.2	उद्योग तथा कतिपय क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र	11
2.2.1	आंतरिक एक्सपोज़र सीमाएं	11
2.2.2	पट्टेदारी, किराया खरीद और फैक्टरिंग सेवाओं में एक्सपोज़र	13
2.2.3	विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों /पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों की विदेश स्थित सहायक कंपनियों की सहायक कंपनियों (स्टेप-डाउन सब्सिडियरिज़) में एक्सपोज़र	14
2.3	पूंजी बाज़ार में बैंकों के एक्सपोज़र- मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना	14
2.3.1	पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र (सीएमई) के घटक	14
2.3.2	पूंजी बाज़ारों में बैंकों के एक्सपोज़र पर सीमाएं	16
2.3.3	निवल मालियत की परिभाषा	17
2.3.4	पूंजी बाजार एक्सपोज़र में शामिल न की गई मदें	18
2.3.5	एक्सपोज़र की गणना	19
2.3.6	एक दिन के भीतर किए गए एक्सपोजर	21
2.3.7	सीमाओं में वृद्धि	21
3	अंतर समूह एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण सीमा	21
4	ईक्विटी का वित्तपोषण तथा शेयरों में निवेश	23
5	शेयरों डिबेंचरों आदि के सार्वजनिक निर्गमों के लिए `सुरक्षा-तंत्र' योजनाएं	28
अनुबंध 1	अखिल भारतीय वित्तीय कंपनियों के बांडों की गारंटी देने वाली संस्थाओं की सूची	30
अनुबंध 2	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची जिनके लिखतों को पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा से छूट है	31
परिशिष्ट	समेकित परिपत्रों की सूची	32

एक्सपोज़र संबंधी मानदंड पर मास्टर परिपत्र

क. उद्देश्य

इस मास्टर परिपत्र में एकल /सामूहिक उधारकर्ताओं के लिए ऋण एक्सपोज़र सीमाओं तथा किसी विशिष्ट उद्योग अथवा क्षेत्रों में ऋण एक्सपोज़र तथा बैंकों के पूंजी बाज़ार एक्सपोजरों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी नियमों /विनियमों/ अनुदेशों का संग्रह किया गया है।

ख. वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक दिशानिर्देश।

ग. पूर्व अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में **परिशिष्ट** में सूचीबद्ध परिपत्रों में उपर्युक्त विषय पर निहित अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।

घ. प्रयोज्यता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. प्रस्तावना

बेहतर जोख़िम प्रबंधन के उद्देश्य से विवेकपूर्ण मानदंड के रूप में और ऋण जोखिमों को संकेद्रित न होने देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग या क्षेत्रों के प्रति एक्सपोज़र की सीमा नियत कर लें । भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में एकल उधारकर्ताओं और सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोज़र के संबंध में विनियामक सीमाएं निर्धारित की हैं । इसके अलावा बैंकों से अपेक्षित है कि वे शेयरों परिवर्तनीय डिबेंचरों /बांडों , ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर अग्रिमों /उनमें निवेश के संबंध में तथा जोखिम पूंजी निधियों में सभी एक्सपोज़रों के संबंध में कतिपय सांविधिक और विनियामक एक्सपोज़र सीमाओं का पालन करें। बैंकों को एक्सपोज़र मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

2. दिशानिर्देश

2.1 एकल / सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र

2.1.1 उच्चतम सीमाएं

2.1.1.1 एक्सपोज़र संबंधी उच्चतम सीमाएं, एकल उधारकर्ता के मामले में पूँजीगत निधि का 15 प्रतिशत तथा सामूहिक उधारकर्ता के मामले में 40 प्रतिशत होंगी। इस प्रयोजन से पूंजीगत निधियों में पूंजी पर्याप्तता मानकों के अंतर्गत परिभाषित किए गए अनुसार टीयर I तथा टीयर II पूंजी शामिल होगी (कृपया इस मास्टर परिपत्र का पैरा 2.3.5 भी देखें)।

2.1.1.2 बैंकों के समाशोधन एक्सपोजर को क्वालिफाइंग सीसीपी (क्यूसीसीपी) एकल प्रतिपक्षकार के लिए लागू पूंजीगत निधि के 15 प्रतिशत की एक्सपोजर सीमा से बाहर रखा जाएगा। सीसीपी के लिए बैंकों के एक्सपोजर के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं पर 2 जुलाई 2013 के परिपत्र बैंपविवि .बीसी .सं .28/21.06.201/2013-14 द्वारा जारी दिशानिर्देशों में परिभाषित किए गए अनुसार समाशोधन एक्सपोजर में ट्रेड एक्सपोजर और डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर शामिल होगा। क्यूसीसीपी के प्रति अन्य एक्सपोजर जैसे ऋण, क्रेडिट लाइन्स, सीसीपी के पूंजी में निवेश, चलनिधि सुविधा आदि का एकल प्रतिपक्षकार के लिए लागू पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत की विद्यमान एक्सपोजर सीमा में रहना जारी रहेगा। तथापि नॉन क्यूसीसीपी के लिए बैंकों के सभी एक्सपोजर 15 प्रतिशत की एक्सपोजर सीमा में रहना चाहिए।

(कृपया 7 जनवरी 2014 का परिपत्र बैंपविवि.सं .बीपी.बीसी .82 /21.06.217/2013-14)

2.1.1.3 एकल ऋणकर्ता के प्रति ऋण एक्सपोज़र की सीमा को बैंक की पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत के मानदंड से 5 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 20 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण एक्सपोज़र मूलभूत सुविधाओं के लिए दिया जा रहा हो। सामूहिक ऋणकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र सीमा को बैंक की पूंजीगत निधियों के 40 प्रतिशत के मानदंड से 10 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 50 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण एक्सपोज़र मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा हो। मूलभूत सुविधा उधार की परिभाषा तथा मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की गयी मदों की सूची 'ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' पर 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र में शामिल है।

2.1.1.4 ऊपर पैरा 2.1.1.1 तथा 2.1.1.2 में अनुमत एक्सपोज़र के अलावा, बैंक आपवादिक परिस्थितियों में अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से किसी उधारकर्ता (एकल तथा सामूहिक) को अपनी पूँजीगत निधियों के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त एक्सपोज़र प्रदान पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते बैंकों द्वारा अपने वार्षिक रिपोर्टों में उचित प्रकटन करने के लिए उधारकर्ता की सहमति हो।

2.1.1.5 भारत सरकार द्वारा जिन तेल कंपनियों को तेल बांड (जिनका एसएलआर दर्जा नहीं है) जारी किए गए हैं केवल उनके मामले में 29 मई 2008 से एकल उधारकर्ता के संबंध में एक्सपोज़र सीमा को पूंजीगत निधियों के पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.1.1.3 के अनुसार पहले की तरह ही अपवादात्मक परिस्थितियों में बैंक तेल कंपनियों में एक्सपोज़र को पूंजीगत निधियों के और 5 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं ।

2.1.1.6 बैंकों का किसी वर्ष के दौरान एक्सपोज़र के विवेकपूर्ण मानदंडों की सीमा से अधिक एक्सपोज़र होने की स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न 'लेखा संबंधी टिप्पणी' में उपयुक्त सूचना दें।

2.1.1.7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोज़र

बैंक का एनबीएफसी /एनबीएफसी - एएफसी (परिसंपत्ति वित्तपोषण कंपनी) में एक्सपोज़र (तुलन पत्रेतर एक्सपोज़र सहित उधार तथा निवेश, दोनों), बैंक के अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उसकी पूंजीगत निधियों के क्रमश: 10 प्रतिशत / 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि बैंक किसी एकल एनबीएफसी /एनबीएफसी - एएफसी में अपनी पूंजीगत निधियों के क्रमश: 15 प्रतिशत /20 प्रतिशत तक एक्सपोज़र कर सकते हैं बशर्ते वह एक्सपोज़र एनबीएफसी/ एनबीएफसी - एएफसी द्वारा मूलभूत सुविधा क्षेत्र को आगे दी गई उधार निधायों के कारण हुआ है। मूलभूत संरचना वित्त कंपनियों (आइएफसी) में बैंक के एक्सपोजर बैंक के अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उसकी पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए और यदि वह एक्सपोज़र आइएफसी द्वारा मूलभूत सुविधा क्षेत्र को आगे दी गई उधार निधायों के कारण हुआ है तो उसमें उसे 20 प्रतिशत तक बढाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को चाहिए कि वे सभी एनबीएफसी को मिलाकर उनमें अपने कुल एक्सपोजर पर आंतरिक सीमाएं निर्धारित करने पर विचार करें।तुलन पत्र के प्रकाशन की तारीख के बाद पूंजीगत निधियों में हई वृद्धि को भी पूंजीगत निधीयों की गणना के प्रयोजन से विचार में लिया जाना चाहिए। पूंजीगत निधियों में इन वृद्धियों की गणना करने से पूर्व बैंकों को पूंजी के संवर्धन की पूर्ति होने पर बाहरी लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करना चाहिए।

2.1.1.8 सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना

एक्सपोजर संबंधी उपर्युक्त सीमाएँ सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत ऋण दिए जाने के मामले में भी लागू होंगी।

2.1.1.9 साख पत्र (एलसी) के अंतर्गत भुनाए गए बिल

उन मामलों में जहां बिल डिस्काउंट करने वाला/ खरीदने वाला/ बेचान करने वाला बैंक और एलसी जारी करने वाला बैंक अलग-अलग है वहां एलसी के अंतर्गत खरीदे गये/ डिस्काउंट किये गये/ बेचान किये गये बिल (जहां हिताधिकारी को

भुगतान 'अंडर रिज़र्व' नहीं किया गया है) एलसी जारी करने वाले बैंक के प्रति एक्सपोजर माने जाएंगे । तथापि, उन मामलों में जहाँ बिल डिस्काउंट करने वाला/ खरीदने वाला/ बेचान करने वाला बैंक और एलसी जारी करने वाला बैंक एक ही बैंक के अंग हैं, अर्थात् जहां एलसी उसी बैंक के प्रधान कार्यालय या शाखा द्वारा जारी किया गया है, वहां एक्सपोजर थर्ड पार्टी / उधारकर्ता पर होगा, एलसी जारीकर्ता बैंक पर नहीं । 'अंडर रिज़र्व' बेचान के मामले में, एक्सपोजर उधारकर्ता पर माना जाना चाहिए।

2.1.1.10 भारत सरकार का विनिवेश कार्यक्रम

भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रमों के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अर्जन के लिए बैंकों के वित्तपोषण के कारण यदि कोई बैंक एकल/ समूह उदारकर्ता की विनियामक उच्चतम सीमा में वृद्धि की संभावना की स्थिति में रिज़र्व बैंक एकल /समूह ऋण एक्सपोज़र के संबंध में छूट के लिए बैंकों से प्राप्त अनुरोधों पर प्रत्येक मामले की स्थिति के अनुसार विचार करेगा बशर्ते ऋणकर्ता के संबंध में बैंक का एक्सपोज़र भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अर्जन के लिए प्रदत्त अग्रिमों को घटाकर रिज़र्व बैंक द्वारा व्यक्ति /समूह ऋणकर्ता एक्सपोज़र के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होने चाहिए।

2.1.2 छूट

2.1.2.1 बीमार / कमजोर औद्योगिक इकायों का पुनर्वास

एकल /समूह एक्सपोज़र सीमाओं पर उपर्युक्त सीमाएं पुनर्वास पैकज के अंतर्गत कमजोर/बीमार औद्योगिक इकायों को मंजूर की गयी वर्तमान/अतिरिक्त ऋण सुविधाओं (ब्याज और अनियमितताओं के निधीयन सहित) के मामले में लागू नहीं होंगी ।

2.1.2.2 खाद्य ऋण

जिन उधारकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीधे ही खाद्य ऋण सीमाएं आबंटित की जाती हैं, उन्हें उक्त उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त होगी ।

2.1.2.3 भारत सरकार द्वारा गारंटियाँ

एकल / समूह एक्सपोज़र सीमाएँ उन परिस्थितियों में लागू नहीं होंगी जब मूलधन तथा ब्याज भारत सरकार द्वारा पूर्णत: गारंटीकृत हो।

2.1.2.4 स्वयं की मीयादी जमाराशियों की जमानत पर ऋण_

किसी बैंक की स्वयं की मीयादी जमाराशियों की जमानत पर मंजूर किए गए ऋणों और अग्रिमों (दोनों निधिक तथा गैर-निधिक सुविधाएं) को ऐसी जमाराशियों पर बैंक के विशिष्ट ग्रहणाधिकार की सीमा तक एक्सपोज़र के अभिकलन के लिए गिना न जाए ।

2.1.2.5 नाबार्ड में एक्सपोज़र

एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा पर लागू उच्चतम सीमा नाबार्ड में बैंकों के एक्सपोज़र पर लागू नहीं होगी । अलग-अलग बैंक अपने निदेशक बोर्ड द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार नाबार्ड में एक्सपोज़र की मात्रा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि, बैंक यह नोट करें कि समय-समय पर संशोधित किए गए, बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा परिचालन पर विवेकपूर्ण मानदंड पर मास्टर परिपत्र के अनुसार निर्धारित रेट न की गई एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में निवेशों से संबंधित प्रतिबंधों से कोई छूट नहीं है।

2.1.3 परिभाषाएं

2.1.3.1 एक्सपोज़र

एक्सपोज़र में ऋण एक्सपोज़र (निधिक और गैर निधिक ऋण सीमाएं) और निवेश एक्सपोज़र (हामीदारी और उसी तरह की वचनबद्धताओं सहित) शामिल होंगे । एक्सपोज़र की सीमा की गणना करने के लिए मंजूर ऋण सीमा या बकाया राशि, दोनों में से जो भी अधिक हों, को हिसाब में लिया जाएगा । तथापि, पूर्णत: आहरित मीयादी ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी भाग के पुन: आहरण की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक ऐसी बकाया राशि को एक्सपोज़र के रूप में गिने।

2.1.3.2 डेरिवेटिव उत्पादों के एक्सपोजर का मापन

एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों के प्रयोजन के लिए बैंक ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन तथा स्वर्ण के कारण होनेवाले अपने ऋण एक्सपोज़रों की गणना करने के लिए नीचे दी गई 'वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति' का उपयोग करें । ऋण एक्सपोज़र की गणना करते समय बैंक 'सोल्ड ऑप्शन्स' को ध्यान में न ले बशर्ते संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क अथवा किसी अन्य स्वरूप की आय प्राप्त/वसूल हुई है ।

ऐसी डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होनेवाले बाजार दर पर अंकित (एमटीएम)मूल्यों की द्विपक्षीय नेटिंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार बैंकों को पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों के प्रयोजन के लिये ऐसी संविदाओं के सकल धनात्मक बाजार दर पर अंकित मूल्य की गणना करनी चाहिए।

वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति

(i) वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति का प्रयोग करते हुए अभिकलित किए गए बाज़ार संबंधी तुलन पत्रेतर लेनदेन की ऋण समतुल्य राशि इन संविदाओं के वर्तमान ऋण एक्सपोज़र तथा भविष्य में संभावित ऋण एक्सपोज़र का योग है । ऋण एक्सपोज़र की गणना करते समय बैंक 'सोल्ड ऑप्शन्स" को ध्यान में न लें बशर्ते संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क अथवा किसी अन्य स्वरूप की आय प्राप्त/वसूल हुई है ।

(ii) वर्तमान ऋण एक्सपोज़र को इन संविदाओं के धनात्मक बाज़ार दर पर अंकित मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति में इन संविदाओं के बाज़ार मूल्य द्वारा विद्यमान ऋण एक्सपोज़र का आवधिक अभिकलन अपेक्षित होता है ।

(iii) संभावित भावी ऋण एक्सपोज़र इस बात पर ध्यान दिए बिना संविदा का बाज़ार दर पर अंकित मूल्य शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक है, इन संविदाओं में से प्रत्येक की काल्पनिक मूल राशि को लिखत के स्वरूप तथा अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार नीचे दर्शाए गए संबंधित एंड ऑन गुणक द्वारा गुणन करके निर्धारित कि जाता है ।

बाज़ार संबंधित तुलन पत्रेतर मदों के लिए ऋण परिवर्तन गुणक		
अवशिष्ट परिपक्वता	ऋण परिवर्तन गुणक	
	ब्याज दर संविदाएं	विनिमय दर संविदाएं तथा स्वर्ण
एक वर्ष अथवा उससे कम	0.50 प्रतिशत	2.00 प्रतिशत
एक वर्ष से अधिक से पांच वर्ष तक	1.00 प्रतिशत	10.00 प्रतिशत
पांच वर्ष से अधिक	3.00प्रतिशत	15.00 प्रतिशत

(iv) मूलधन के बहु विनिमय वाली संविदाओं के लिए एड ऑन गुणकों का संविदा में शेष भुगतान की संख्या द्वारा गुणन करना चाहिए ।

(v) उन संविदाओं के लिए जिन्हें विशिष्ट भुगतान तारीखों के अनुसार बकाया एक्सपोज़र के निपटान के लिए नियोजित किया गया है और जहां शर्तों को इस प्रकार पुनर्निर्धारित किया गया है कि इन विशिष्ट तारीखों को संविदा का बाज़ार मूल्य शून्य होगा, अवशिष्ट परिपक्वता अगली पुनर्निर्धारण की तारीख तक की अवधि के समतुल्य अवधि पर निर्धारित की जाएगी । तथापि, ब्याज दर संविदाओं के मामले में जिनकी अवशिष्ट परिपक्वताएं एक वर्ष से अधिक हैं और जो उपर्युक्त मानदंड, ऋण परिवर्तन गुणक अथवा लागू होनेवाले 'एड ऑन गुणक' को पूर्ण करते हैं वे 1.00 प्रतिशत की न्यूनतम दर के अधीन होंगे ।

(vi) एकल मुद्रा अस्थिर/अस्थिर ब्याज दर स्वैप के लिए संभावित भावी ऋण एक्सपोज़र का अभिकलन नहीं किया जाएगा; इन संविदाओं पर लागू ऋण एक्सपोज़र का मूल्यांकन केवल उनके बाज़ार दर पर अंकित मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।

(vii) संभावित भावी एक्सपोज़र आभासी के बजाय प्रभावी कल्पित राशियों के आधार पर होने चाहिए । इस स्थिति में जहां कथित कल्पित राशि में लेनदेन के स्वरूप के कारण वृद्धि अथवा वर्धन हुआ है, वहां भविष्य में संभावित एक्सपोज़र निर्धारित करने के लिए बैंकों को प्रभावी कल्पित राशि का प्रयोग करना चाहिए । उदाहरण के लिए, 1 मिलियन अमरीकी डालर की कथित काल्पनिक राशि जिसका भुगतान बीपीएसलआर की दो गुनी आधार दर पर आधारित है, की प्रभावी काल्पनिक राशि 2 मिलियन अमरीकी डालर होगी ।

2.1.3.3 ऋण एक्सपोज़र

ऋण एक्सपोज़र में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं :

(क) सभी प्रकार की निधिक और गैर-निधिक ऋण सीमाएं

(ख) उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद वित्त और फैक्टरिंग सेवाओं के रूप में उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं

2.1.3.4 निवेश एक्सपोज़र

क) निवेश एक्सपोज़र में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे :

(i) कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों में निवेश।

(iii) वाणिज्यिक पत्रों में निवेश।

ख) वित्तीय आस्तियों की बिक्री के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों /बांडों /प्रतिभूति रसीदों /पी टी सी में बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के निवेश प्रतिभूतिकरण कंपनी /पुनर्निर्माण कंपनी के एक्सपोज़र होंगे । स्थिति के असामान्य स्वरूप को देखते हुए बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को प्रारंभिक वर्षों में मामला-दर-मामला आधार पर विवेकपूर्ण निवेश की उच्चतम सीमा से अधिक अनुमति दी जाएगी।

ग) बैंकों द्वारा ऐसी कंपनी के बांडों और डिबेंचरों में किया गया निवेश, जो किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था[1] (पीएफआइ) द्वारा **(अनुबंध 1** में दी हुई सूची के

---

[1] आइसीआइसीआइ लि. का आइसीआइसीआइ बैंक लि. के साथ 30.03.2002 से विलय होने से आइसीआइसीआइ लि. की संपूर्ण देयताएं आइसीआइसीआइ बैंक लि. द्वारा ले ली गयी हैं । विलय की योजना के अनुसार सरकार द्वारा आइसीआइसीआइ लि. को प्रदान किये गये सभी ऋण और गारंटी संबंधी सुविधाएं विलयित संस्था को अंतरित हो जायेंगी। इसी प्रकार, बैंकों द्वारा पहले के आइसीआइसीआइ लि. में किये गये निवेशों को उनके परिशोधन तक 40 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से बाहर माना जायेगा ।
आइडीबीआइ लि . का आइडीबीआइ बैंक लि. के साथ 2 अप्रैल 2005 से विलय होने से आइडीबीआइ लि. की संपूर्ण देयताएं आइडीबीआइ बैंक लि. द्वारा ले ली गयी हैं। अतः ऋण आदि जोखिम मानदंडों के प्रयोजन के लिए भूतपूर्व आइडीबीआइ लि. द्वारा गारंटीकृत कंपनियों के बांडों तथा डिबचरों में बैंकों द्वारा किए गए निवेशों को परिशोधन होने तक आइडीबीआइ बैंक लि. पर न कि कंपनियों पर बैंकों का ऋण आदि जोखिम समझा जाता रहेगा । इसी तरह बैंकों द्वारा भूतपूर्व आइडीबीआइ लि. में किए गए निवेशों को उनके परिशोधन होने तक, पूंजी बाज़ार के ऋण आदि जोखिम के 40 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के बाहर माना जाएगा ।

अनुसार) गारंटीकृत हैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्था में बैंक का एक्सपोज़र माना जायेगा, न कि उक्त कंपनी का।

घ) कंपनियों के बांडों के संबंध में पीएफआइ द्वारा जारी की गई गारंटियों के संबंध में वे गैर निधिक सुविधा होने के कारण, पीएफआइ का कंपनियों में एक्सपोज़र 50 प्रतिशत माना जाएगा, जब कि कंपनी बांडों के संबंध में गारंटी जारी करने वाली पीएफआइ में बैंक का एक्सपोज़र 100 प्रतिशत होगा। तथापि बांडों / डिबेंचरों के संबंध में गारंटी जारी करने से पूर्व पीएफआइ को वित्तीय प्रणाली में गारंटीकृत इकाई के समग्र एक्सपोज़र को ध्यान में लेना चाहिए।

2.1.3.5 पूंजीगत निधियां

इस प्रयोजन के लिए पूंजीगत निधियों में पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों में परिभाषित की गयी तथा पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के प्रकाशित लेखों के अनुसार टीयर I और टीयर II पूंजी शामिल होगी। तथापि, प्रकाशित किए गए तुलन पत्र की तारीख के बाद टीयर I और टीयर II के अंतर्गत देशी अथवा विदेशी निर्गम (विदेशी बैंकों की भारत में कार्यरत शाखाओं के मामले में समय-समय पर संशोधित नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर मास्टर परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा अपने प्रधान कार्यालय से प्राप्त पूंजीगत निधियां) द्वारा पूंजी में की गयी वृद्धि को भी एक्सपोज़र निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तिमाही लाभों आदि से पूंजीगत निधियों में हुई वृद्धि एक्सपोज़र सीमा को निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिए जाने के लिए पात्र नहीं होगी। भविष्य में पूंजी में होने वाली वृद्धि की प्रत्याशा में निर्धारित सीमा के अतिरिक्त एक्सपोज़र लेने से भी बैंकों को प्रतिबंधित किया गया है।

2.1.3.6 समूह

क) 'समूह' की अवधारणा और विशेष औद्योगिक समूह से संबंधित उधारकर्ताओं की पहचान का कार्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की समझ पर छोड़ दिया गया है । जोखिम आस्तियों पर अपने एक्सपोज़र को नियमित करने के प्रयोजनार्थ बैंक / वित्तीय संस्थाएं सामान्यत: अपने ग्राहकों के आधारभूत गठन से परिचित रहते हैं । अत: कोई विशिष्ट उधारकर्ता इकाई किस समूह से संबंधित है इसका निर्धारण बैंकों के पास उपलब्ध संगत सूचना के आधार पर किया जा

सकता है । इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत प्रबंधन का एक होना और कारगर नियंत्रण है । जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है उनपर केवल एकल उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा लागू होगी ।

ख) समूह में विभाजन होने के मामले में, यदि विभाजन औपचारिक है तो अलग हुए समूहों को अलग-अलग समूह माना जायेगा। यदि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को विभाजन की सत्यता में कोई संदेह हो तो वे भारतीय रिज़र्व बैंक को लिखें, ताकि रिज़र्व बैंक इस बारे में अंतिम विचार बना सके कि यह विभाजन सामूहिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वर्गीकृत होने से बचने के लिए तो नहीं किया गया है ।

2.1.4 समीक्षा

जोखिम प्रबंधन के उपायों के कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा जून की समाप्ति से पहले निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाये ।

2.2 उद्योग और कुछ निश्चित क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र

2.2.1 आंतरिक एक्सपोज़र सीमाएं

2.2.1.1 क्षेत्रवार सीमाएं निश्चित करना

ऊपर बताये गये अनुसार एकल उधारकर्ता अथवा उधारकर्ताओं के समूह को दिए जाने वाले एक्सपोज़र को सीमित करने के अलावा बैंक विशिष्ट क्षेत्रों यथा वस्त्र उद्योग, जूट, चाय आदि के प्रति समेकित वचनबद्धताओं की आंतरिक सीमाएं नियत करने पर भी विचार करें, ताकि एक्सपोज़र विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वितरित रहे। बैंकों द्वारा ये सीमाएं विभिन्न क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन और जोखिमों के संबंध में अपनी धारणाओं को ध्यान में रखते हुए नियत की जा सकती हैं । इस प्रकार नियत की गयी सीमाओं की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित भी किया जाना चाहिए।

2.2.1.2 कंपनियों के अरक्षित (अनहेजड़) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बैंक के पास एक ऐसी नीति है जो उनके ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्सपोज़रों से उभरनेवाले जोखिमों को स्पष्टत: पहचानती है और उन पर ध्यान देती है, 10 मिलियन अमरीकी डालर अथवा बैंकों के ऐसे एक्सपोज़रों के संविभागों की तुलना में उचित समझी गई निम्नतर सीमाओं से

अधिक के विदेशी मुद्रा ऋण बैंकों को केवल ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों को हेज करने के संबंध में उनके बोर्ड की सुनिर्धारित नीति के आधार पर ही प्रदान करने चाहिए । साथ ही, हेज करने के लिए उनके बोर्ड द्वारा बनाई गई नीति सुविधाजनक हो इसलिए उसमें से निम्नलिखित को निकाल देने पर विचार किया जाए :

- जहां फॉरेक्स ऋण निर्यातों के लिए दिए जाते हैं, वहां बैंक हेज करने पर जोर न दें लेकिन स्वयं को इस बात से आश्वस्त रखें कि ऐसे ग्राहकों के पास ऋण की राशि को कवर करने के लिए भार रहित प्राप्य राशियां हैं ।
- जहां फॉरेक्स ऋण, फॉरेक्स व्यय को पूर्ण करने के लिए दिए गए हैं ।

बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की नीति में उनके सभी ग्राहकों के जिनमें छोटे तथा मझौले उद्यम शामिल हैं, हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़रों को कवर किया जाना चाहिए । साथ ही, ग्राहकों के हेज न किए गए कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का अभिकलन करने के लिए विदेशी मुद्रा उधार तथा बाहरी वाणिज्यिक उधारों सहित सभी स्रोतों से उनके एक्सपोज़र को हिसाब में लिया जाना चाहिए ।

जिन बैंकों के अपने ग्राहकों के प्रति बहुत बड़े एक्सपोज़र हैं, उन्हें एक पर्याप्त रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से अपने उन ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्सपोज़रों के हेज न किए गए भाग की मासिक आधार पर निगरानी तथा समीक्षा करनी चाहिए, जिनके कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र काफी बड़े हैं (जैसे **25** मिलियन डालर अथवा उसके समतुल्य राशि) । एसएमई के हेज न किए गए एक्सपोज़र की समीक्षा भी मासिक आधार पर की जानी चाहिए । सभी अन्य मामलों में ऐसी स्थिति की तिमाही आधार पर निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए बैंकों को कोई प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ।

संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के मामले में उपर्युक्त के अनुसार ग्राहकों के हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करने में अग्रणी भूमिका संघीय प्रमुख/सबसे अधिक एक्सपोज़र रखने वाले बैंक को निभानी होगी ।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि 'सहायता संघीय व्यवस्था/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण पर 8 दिसंबर 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.94/08.12.001/2008-09 में निर्दिष्ट आपस में सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुदेशों का कडाई से पालन करें। इस संदर्भ में बैंक,

21 नवंबर 2012 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं 62/21.04.103/2012-13 भी देखें।

डेरिवेटिव ट्रेड से संबंधित हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि कार्पोरेट द्वारा अत्यधिक जोखिम लेने से उनपर विकट संकट हो सकता है और मुद्रा में तेज प्रतिकूल घट-बढ़ के कारण उनके बैंकरों को विशाल संभावित साख क्षति हो सकती है । यह देखा गया है कि अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर जोखिमों का कड़ाई से मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है तथा ऋण के मूल्य निर्धारण में एन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। यह जोर दिया जाता है कि कंपनियों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर, संबंधित कंपनी के साथसाथ वित्त- पोषक बैंक तथा वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यह पाया गया है कि भारी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के कारण कुछ खाते अनर्जक बन गये हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम के विवेकपूर्ण प्रबंधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनियों को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं देते हुए वे कंपनियों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों से होने वाले जोखिमों का कड़ाई से मूल्यांकन करने तथा ऋण जोखिम प्रीमियम में उनका मूल्य निर्धारण करने के लिए उचित प्रणाली स्थापित करें। बैंक बोर्ड द्वारा मंजूर की गई नीति के आधार पर कंपनियों के अरक्षित पोजीशन की सीमा तय करने पर भी विचार कर सकते हैं।

2.2.1.3 स्थावर संपदा में एक्सपोज़र

(i) बैंकों को स्थावर संपदा के लिए ऋणों की कुल राशि की अधिकतम सीमा, ऐसे ऋणों के लिए एकल /समूह एक्सपोज़र सीमाओं, मार्जिन, जमानत, चुकौती सारणी और पूरक वित्त की उपलब्धता के संबंध में व्यापक विवेकपूर्ण मानदंड बनाने चाहिए और इस नीति का बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए।

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) स्थापित करने अथवा एसईज़ेड में जिसमें स्थावर संपदा शामिल है, इकाईयां अर्जित करने के लिए बैंकों द्वारा कंपनियों में किए गए एक्सपोज़र को विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से जोखिम भार और पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से वाणिज्य स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोज़र माना जाएगा तथा बैंकों को ऐसे एक्सपोज़र के लिए विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान तथा उचित

जोखिम भार भी निर्धारित करने होंगे। उपर्युक्त एक्सपोज़र को केवल एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन के लिए बुनियादी सुविधा क्षेत्र में एक्सपोज़र माना जाए क्योंकि एक्सपोज़र मानदंड बुनियादी सुविधा क्षेत्र के लिए कुछ छूट प्रदान करते हैं । इस संबंध में 9 सितंबर 2009 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.42/ 08.12.015/2009-10 के पैराग्राफ 3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2.2.2 पट्टेदारी, किराया खरीद और फैक्टरिंग सेवाओं में एक्सपोज़र

बैंकों को पट्टेदारी, किराया खरीद तथा आढत (फैक्टरिंग) कार्यों को विभागीय तौर पर करने की अनुमति दी गई है। जहां बैंक इन कार्यों को विभागीय तौर पर करते हैं, वहां उन्हें कुल ऋण की तुलना में उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद तथा आढ़त सेवाओं का संतुलित संविभाग बनाए रखना होगा। इनमें से प्रत्येक गतिविधि में उनका एक्सपोज़र कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.2.3 विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों /पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों की विदेश स्थित सहायक कंपनियों की सहायक कंपनियों (स्टेप-डाउन सब्सिडियरिज़) में एक्सपोज़र

2.2.3.1 बैंकों को, विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों / पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों को ऋण/ गैर ऋण (अर्थात साखपत्र और गारंटी) सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति है । बैंकों को अपने विवेक से, भारत से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात सुसाध्य बनाने हेतु विदेशी पार्टियों को क्रेता ऋण/ स्वीकृति वित्त प्रदान करने की भी अनुमति है । उपर्युक्त एक्सपोज़र बैंक की अक्षत पूंजी (टीयर I और टीयर II पूंजी) के 20 प्रतिशत से अनधिक तथा ऋण और अग्रिम- सांविधिक और अन्य प्रतिबंध पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र में निहित शर्तों के अधीन होगा।

2.3 पूंजी बाज़ारों में बैंकों के एक्सपोज़र - मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना

वर्ष 2005- 2006 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में घोषित किए गए अनुसार, बैंकों के लिए निर्धारित किए गए पूंजी बाज़ार में एक्सपोज़र संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को आधार तथा व्याप्ति के अनुसार युक्तिसंगत बनाया

गया है। तदनुसार, पूंजी बाज़ारों में बैंकों के एक्सपोज़र पर विद्यमान दिशानिर्देशों को आशोधित किया गया और 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी हुए संशोधित दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं ।

2.3.1 पूंजी बाज़ार एक्सपोजर (सीएमई) के घटक

बैंकों के पूंजी बाज़ार एक्सपोज़रों में उनके प्रत्यक्ष एक्सपोज़र तथा अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र दोनों शामिल होंगे। पूंजी बाज़ारों में बैंकों को सभी प्रकार के कुल एक्सपोज़र (निधि तथा गैर-निधि आधारित दोनों) में निम्नलिखित शामिल होगा:

i. ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों, की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी संपूर्ण राशि केवल कंपनी ऋण में निवेशित नहीं है;

ii. शेयर (आइपीओ /ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडो की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों /बांडो/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम;

iii. अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है;

iv. शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों समर्थक जमानत द्वारा रक्षित हिस्से की सीमा तक अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों /परिवर्तनीय डिबेंचरों /ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों से अन्य प्राथमिक जमानत अग्रिमों को पूर्णत: कवर नहीं करती, किन्ही अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम;

v. शेयर दलालों को जमानती तथा बेजमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटिया;

vi. संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों /बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बिना जमानत के कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण;

vii. अपेक्षित ईक्विटी प्रवाहों /निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को दिए गए तात्कालिक (ब्रिज) ऋण;

viii. शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों की हामीदारी प्रतिबद्धताएं।

ix. मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण;

x. जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा पंजीकृत न किए गए दोनों) में सभी एक्सपोज़र।

xi. कस्टोडियन बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के पक्ष में जारी अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं

2.3.2 पूंजी बाज़ारों में बैंकों के एक्सपोज़र पर सीमाएं

2.3.2.1 कंपनियों में शेयरधारिता पर सांविधिक सीमा

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में दी गयी व्यवस्था के सिवाय, किसी कंपनी में गिरवीदार, बंधकग्राही अथवा पूर्णस्वामी के रूप में उस कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी अथवा उसकी अपनी प्रदत्त पूँजी और आरक्षित निधियों, जो भी कम हो, के 30 प्रतिशत से अधिक की राशि के शेयर धारित नहीं करेगी। एक्सपोज़र सीमा निश्चित करने के लिए अमूर्त स्वरूप में धारित शेयरों को भी शामिल किया जाना चाहिए । प्रत्येक कंपनी के लिए यह एक समग्र धारण सीमा है । शेयरों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करते समय, शेयरों के निर्गम की हामीदारी देते समय या निवेश खाते पर अथवा किसी कंपनी के ऋण के बदले में कोई शेयर अर्जित करते समय इन सांविधिक उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

2.3.2.2 विनियामक सीमाएं

क) एकल आधार

सभी रुपों (निधि आधारित तथा निधितर आधारित, दोनो) में किसी बैंक का पूंजी बाज़ारों में कुल एक्सपोज़र, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र उच्चतम सीमा के भीतर शेयरों, परिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों तथा ईक्विटी-उन्मुख

म्युचुअल फंडों के यूनिटों में बैंकों के प्रत्यक्ष निवेश तथा उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) में सभी एक्सपोज़र उसकी निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।

ख) समेकित आधार

किसी समेकित बैंक का पूंजी बाज़ारों (निधि आधारित तथा निधितर आधारित, दोनो) में कुल एक्सपोज़र, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी समेकित निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र उच्चतम सीमा के भीतर शेयरों, परिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों तथा ईक्विटी-उन्मुख म्युचुअल फंडों के यूनिटों में बैंकों के निवेश के रुप में समेकित बैंक का कुल प्रत्यक्ष एक्सपोज़र तथा उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) में सभी एक्सपोज़र उसकी समेकित निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

<u>टिप्पणी</u> समूह-वार आधार पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के प्रयोजन से 'समेकित बैंक' को कंपनियों के ऐस समूह के रुप में परिभाषित किया जाता है जिनमें सहायक कंपनियों वाला अथवा न होने वाला एक लाइसेंसीकृत बैंक शामिल है।

2.3.2.3 उपर्युक्त सीमाएं (पैरा क तथा ख) अधिकतम अनुमत सीमाएं हैं और बैंक का निदेशक बोर्ड अपने बैंक के जोखिम का समग्र स्वरूप तथा कॉर्पोरेट रणनीति को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए निम्नतर सीमा अपनाने के लिए स्वतंत्र है । बैंकों को इन सीमाओं का निरंतर आधार पर पालन करना चाहिए।

2.3.2.4 यदि 26 फरवरी 2014 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 97/21.04.132/2013-14 के पैरा 5.5 में यथासूचित इक्विटी शेयरों के अर्जन के कारण मौजूदा विनियामक पूंजी बाज़ार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा से अधिक एक्सपोजर हो जाता है तो उसे विनियामक सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तथापि इसे भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया जाना तथा बैंकों द्वारा उनके वार्षिक वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणी में प्रकटन किया जाना आवश्यक होगा।

भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रमों के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अर्जन के लिए बैंकों के वित्तपोषण के कारण यदि कोई बैंक एकल/ समूह उदारकर्ता की विनियामक उच्चतम सीमा में वृद्धि की संभावना की स्थिति में रिज़र्व बैंक एकल /समूह ऋण एक्सपोज़र के संबंध में छूट के लिए बैंकों से प्राप्त अनुरोधों

पर प्रत्येक मामले की स्थिति के अनुसार विचार करेगा बशर्ते ऋणकर्ता के संबंध में बैंक का एक्सपोज़र भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अर्जन के लिए प्रदत्त अग्रिमों को घटाकर रिज़र्व बैंक द्वारा व्यक्ति /समूह ऋणकर्ता एक्सपोज़र के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होने चाहिए।

2.3.3 निवल मालियत की परिभाषा

निवल मालियत में प्रदत्त पूंजी तथा शेयर प्रीमियम सहित मुक्त आरक्षित निधि जिसमें पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां शामिल नहीं होंगी और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियां तथा लाभ-हानि खाते में जमा शेष जिसमें से लाभ-हानि खाते में नामे शेष, संचित हानियां तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को घटाया जाएगा शामिल होंगी । निवल मालियत की गणना में कोई भी सामान्य अथवा विशिष्ट प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाएगा। तुलन पत्र की प्रकाशित तारीख के बाद देशी अथवा विदेशी निर्गम के माध्यम से ईक्विटी शेयरों द्वारा पूंजी में की गई वृद्धि को भी पूंजी बाजार में एक्सपोजर की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए विचार में लिया जाए। उपर्युक्त के अनुसार वृद्धियों की गणना करने से पूर्व बैंकों को पूंजी के संवर्धन की पूर्ति होने पर बाहरी लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करना चाहिए ।

2.3.4 पूंजी बाजार एक्सपोजर में शामिल न की गई मदें

निवल मालियत के 40 प्रतिशत की कुल एक्सपोजर सीमा तथा निवल मालियत के 20 प्रतिशत की प्रत्यक्ष निवेश एक्सपोजर सीमा (जहां लागू हो) निम्नलिखित मदें नहीं होंगी

i. बैंक के अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में निवेश तथा शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचर्स, वित्तीय स्वरूप की महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल), केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल), राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति समाशोधन निगम लि. (एनएससीसीएल), राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई), भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल), ऋण सूचना कंपनी जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है तथा जिसका बैंक सदस्य है, मल्टि कमॉडिटी एक्सचेंज लि. (एमसीएक्स), नैशनल कमॉडिटी एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स), नैशनल मल्टि-

कमॉडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएमसीईआइएल), नैशनल कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएसएल) तथा **अनुबंध 2** में दिए गए अनुसार अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी परिवर्तनीय बांडों में निवेश। सूचीबद्ध किए जाने के बाद मूल निवेश (अर्थात् सूचीबद्ध किए जाने के पूर्व) के अतिरिक्त एक्सपोजर पूंजी बाजार एक्सपोजर का हिस्सा बनेंगे ।

ii. अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए टीयर I तथा टीयर II ऋण लिखत;

iii. अन्य बैंकों के जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) में निवेश;

iv. अधिमान शेयर;

v. अपरिवर्तनीय डिबेंचर तथा अपरिवर्तनीय बांड;

vi. ऐसी योजनाओं के अंतर्गत म्युच्युअल फंडों के यूनिट जहां मूल धन का केवल ऋण लिखतों में निवेश किया है;

vii. कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्था तंत्र के अंतर्गत ऋण/अतिदेय ब्याज के ईक्विटी में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा अर्जित शेयर;

viii. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायत कंपनियों में ईक्विटी अर्जित करने के लिए भारतीय प्रवर्तकों को स्वीकृत मीयादी ऋण;

ix. 16 अप्रैल 2008 से एकल बैंक तथा समेकित बैंक के पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र का अभिकलन करने के प्रयोजन से बैंक बुक रनिंग प्रक्रिया के माध्यम से दी गयी अपनी खुद की तथा अपनी सहायक कंपनियों की हामीदारी प्रतिबद्धताओं को शामिल न करें । <u>(तथापि इससे संबंधित स्थिति की भविष्य में समीक्षा की जाएगी ।)</u>

x. बुनियादी सुविधाएं परियोजना उधार के लिए उधारदाता बैंक के पास गिरवी रखे गए बुनियादी सुविधा परियोजना के एसपीवी में प्रवर्तकों के शेयर ।

xi. मुद्रा डेरिवेटिव खंड के अंतर्गत दलालों के प्रति बैंकों का एक्सपोजर

2.3.5 एक्सपोज़र की गणना

पूंजी बाज़ारों में एक्सपोज़र की गणना करने के लिए पूंजी बाज़ार परिचालनों के लिए स्वीकृत ऋण / अग्रिम तथा जारी की गई गारंटियों को स्वीकृत सीमाओं अथवा बकाया राशि इनमें से जो भी अधिक है के संदर्भ में गिना जाएगा। तथापि पूर्णत: आहरित मीयादी ऋणों के मामले में जहां स्वीकृत सीमा में से किसी भी

हिस्से के पुन: आहरण की गुंजाइश नहीं हैं, वहां बैंक बकाया राशि को एक्सपोज़र के रूप में गिन सकते हैं। इसके अलावा, शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश को करने के लागत मूल्य पर अभिकलित किया जाएगा।

कस्टोडियन बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के पक्ष में जारी अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में पूंजी बाजार एक्सपोजर की गणना निम्नानुसार होगी;

i. अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं जारी करने वाले अभिरक्षक बैंकों को होने वाले अधिकतम जोखिम की गणना सौदे की तारीख (टी) से दो क्रमागत दिवस को विदेशी संस्थागत निवेशकों/म्यूचुअल फंडों द्वारा खरीदी गई ईक्विटियों की कीमतों में गिरावट के पूर्वानुमान के 50% के रूप में की जाएगी अर्थात् टी + 1 तथा टी + 2 में से प्रत्येक के लिए 20% की दर से तथा कीमतों में और गिरावट के लिए 10% के अतिरिक्त मार्जिन की गणना की जाएगी।

ii. तदनुसार, टी+1 पर संभावित जोखिम की गणना निपटान की राशि के 50% की दर से की जाएगी और यह राशि टी+1 की समाप्ति पर पूंजी बाजार के प्रति एक्सपोज़र मानी जाएगी बशर्ते मार्जिन भुगतान / आरंभिक भुगतान न हुआ हो ।

iii. टी+1 के अंतर्गत आरंभिक भुगतान की स्थिति में कोई पूंजी बाजार एक्सपोज़र नहीं होगा। टी +1 का अर्थ है भारतीय समय के अनुसार दिन की समाप्ति (ईओडी)। अत: भारतीय समय के अनुसार दिन की समाप्ति के बाद प्राप्त निधियों को टी+1 के अंतर्गत आरंभिक भुगतान <u>नहीं</u> माना जाएगा। पूंजी बाजार एक्सपोज़र की तदनुसार गणना करनी होगी।

iv. टी + 1 को मार्जिन के नकद भुगतान की स्थिति में पूंजी बाज़ार के प्रति एक्सपोज़र की गणना निपटान की राशि में से भुगतान किए गए मार्जिन को <u>घटाकर</u> शेष राशि के 50% की दर से की जाएगी । यदि टी + 1 को मार्जिन का भुगतान एफआइआइ/म्यूचुअल फंडों को अनुमत प्रतिभूतियों के माध्यम से किया गया हो तो पूंजी बाज़ार के प्रति एक्सपोज़र की गणना निपटान की राशि में से भुगतान की गई मार्जिन को <u>घटाकर</u> तथा मार्जिन भुगतान के लिए दी गयी प्रतिभूतियों पर बाजार (एक्सचेंज) द्वारा निर्धारित हेयरकट को <u>जोड़कर</u> जो राशि आती है उसके 50% की दर से की जाएगी ।

v. अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताओं को वित्तीय गारंटी के रूप में माना जाएगा जिसका ऋण परिवर्तन गुणक 100 होगा। तथापि केवल पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में गिने जानेवाले एक्सपोजर पर पूंजी बनाई रखनी होगी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शेष एक्सपोजर नकद राशि/प्रतिभूतियों द्वारा रक्षित है और इन्हें बासेल II के अनुसार जोखिम कम करनेवाले तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। अत: पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए ली गई राशि पर पूंजी बनाए रखनी है और उसपर 125 प्रतिशत जोखिम भार होगा। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि आईपीसी किस ग्राहक को जारी किए गए हैं, सभी ग्राहकों के लिए आईपीसी का स्वरूप एक ही होता है और आईपीसी के लिए निर्धारित उपाय संरक्षक बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी आईपीसी पर लागू किए जाऐंगे ।

2.3.6 एक दिन के भीतर किए गए एक्सपोज़र

वर्तमान में एक दिन के भीतर पूंजी बाज़ारों में बैंकों के एक्सपोज़र जो कि अंतर्निहित रूप से जोखिमपूर्ण होते हैं, की निगरानी करने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। यह निर्णय लिया गया है कि एक दिन में एक्सपोज़रों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक बैंक का बोर्ड को एक नीति विकसित करनी होगी और ऐसी सीमाओं की निरंतर आधार पर निगरानी करने के लिए एक उचित प्रणाली भी स्थापित करनी होगी। स्थिति की भविष्य में समीक्षा की जाएगी।

2.3.7 सीमाओं में वृद्धि

जिन बैंकों के पास स्वस्थ आंतरिक नियंत्रण तथा संतुलित जोखिम प्रबंधन प्रणालियां हैं वे उनके ब्यौरों सहित उच्चतर सीमाओं के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

3. समूह के भीतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं

आईटीई से उत्पन्न होने वाले संकेंद्रण और संक्रमण जोखिमों की रोकथाम के लिए बैंकों द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ आईटीई सुनिश्चित करने हेतु इन दिशानिर्देशों में वित्तीय आईटीई पर मात्रात्मक सीमाएं तथा वित्तेतर आईटीई पर विवेकपूर्ण उपाय दिये गये हैं।

i. एक्सपोजरों में ऋण एक्सपोजर (निधीकृत और निधीतर ऋण सीमाएं) तथा निवेश एक्सपोजर (हामीदारी और समान प्रतिबद्धताओं सहित) शामिल होने चाहिए। एक्सपोजरों की परिभाषा और गणना का तरीका एक्सपोजर मानदंडों पर मास्टर परिपत्र में निर्धारित किए अनुसार होगा। तथापि, जैसाकि नीचे पैरा 3.4 (क) में बताया गया है, समूह हस्तियों के प्रति एक्सपोजरों की गणना करते समय ईक्विटी और अन्य विनियामक पूंजी लिखतों के कारण एक्सपोजरों को शामिल नहीं करना चाहिए।

ii बैंकों को समूह के भीतर निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाओं का पालन करना चाहिए:

क. एकल समूह हस्ती एक्सपोजर

i. वित्तेतर कंपनियों और अविनियमित वित्तीय सेवा कंपनियों के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 5%;

ii. विनियमित वित्तीय सेवा कंपनियों के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 10%।

ख. सकल समूह एक्सपोजर

i. एक साथ सभी वित्तेतर कंपनियों और अविनियमित वित्तीय सेवा कंपनियों के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 10%;

ii. एक साथ सभी समूह हस्तियों (वित्तीय और वित्तेतर) के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों का 20%।

iii. समूह के भीतर विवेकपूर्ण सीमाओं से छूट प्राप्त एक्सपोजर

समूह के भीतर निम्नलिखित एक्सपोजरों को निर्धारित सीमाओं से छूट दी जाएगीः

क. समूह हस्तियों की ईक्विटी और अन्य पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश वर्तमान में 'सहायक कंपनियों और अन्य कंपनियों में निवेश' पर 12 दिसंबर 2011 का भारिबैं का परिपत्र बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. 62/24.01.001/2011-12 तथा 'बासल III पूंजी विनियमावली' पर 01 जुलाई 2013 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 2/21.06.201/2013-14 द्वारा शासित हैं। तदनुसार, समूह के अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में ईक्विटी और अन्य पूंजी लिखतों के रूप में बैंकों के निवेश को इन

दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमाओं से छूट दी गई है तथा पैरा 3.5 में निर्धारित ऊपर उल्लिखित विद्यमान अनुदेश लागू होना जारी रहेगा।

ख. भारत में परिचालन करने वाले समूह के बैंकों के बीच अंतर-बैंक एक्सपोजर। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में बकाया उधार लेने और देने, दोनों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं मांग/नोटिस मुद्रा बाजार परिचालन पर विद्यमान अनुदेशों के द्वारा शासित होंगी।

ग. विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए मूल बैंक द्वारा विदेशी समूह संस्थाओं के पक्ष में जारी चुकौती आश्वासन पत्र।

iv प्रतिबंधित एक्सपोजर

जहां बैंक की स्थापना एनओएफएचसी संरचना के अधीन की गई है,

क. एनओएफएचसी, उसके प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह संस्थाओं या प्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्तियों से बैंक कोई ऋण या निवेश (ईक्विटी/ऋण पूंजी लिखतों सहित) नहीं ले सकता है।

ख. एनओएफएचसी के अंतर्गत किसी वित्तीय हस्ती की ईक्विटी/ऋण पूंजी लिखतों में बैंक निवेश नहीं कर सकता है। (विस्तृत अनुदेशों के लिए 11 फरवरी 2014 का परिपत्र बैंपविवि.सं.96/21.06.102/2013-14 देखें)

4 ईक्विटी का वित्तपोषण तथा शेयरों में निवेश

4.1 शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम

शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर बैंकिंग प्रणाली से व्यक्तियों को ऋण की राशि यदि प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप में धारित हो तो प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रतिभूतियां अमूर्त रूप में धारित हैं तो प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऋण वास्तविक वैयक्तिक निवेशकों के लिए होते हैं और किसी विशिष्ट स्क्रिप अथवा संबंधित कंपनियों के स्टॉक ब्रोकिंग कार्यकलापों को समर्थन देने के लिए बहुविध ऋण लेने के लिए

बैंकों को एक ही कंपनी अथवा उनकी अंतत: संबद्ध संस्थाओं के व्यक्तियों के बड़े समूह की सांठ-गांठ पूर्ण कार्रवाई को समर्थन नहीं देना चाहिए। ऐसे वित्त को पूंजी बाज़ार में एक्सपोज़र के रूप में गिना जाए। शेयरों, डिबेंचरों तथा बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम प्रदान करने के लिए बैंकों को भारिबैं के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक ऋण नीति तैयार करनी चाहिए। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बैंक ऐसे अग्रिमों के लिए कुल समुचित उप-सीमाएं निर्धारित करने पर भी विचार कर सकते हैं।

4.2 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) का वित्तपोषण

आइपीओं में अभिदान के लिए बैंक व्यक्तियों को अग्रिम प्रदान कर सकते हैं। शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की जमानत पर आइपीओ में अभिदान के लिए बैंकिंग प्रणाली से किसी एक व्यक्ति को प्रदान किए गए ऋण /अग्रिम 10 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। अन्य कंपनियों के आइपीओ में निवेश करने के लिए बैंक कंपनियों को ऋण प्रदान नहीं करेंगे। इसी प्रकार, आइपीओ में अभिदान के लिए व्यक्तियों को आगे उधार देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त प्रदान नहीं करेंगे। आइपीओ के लिए बैंक द्वारा प्रदान किया गया वित्त पूंजी बाजार में वित्त के रूप में गिना जाए।

4.3 कर्मचारियों को उनकी अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए बैंक वित्त

4.3.1 कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजनाओं (ईएसओपी) के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी अपनी कंपनियों के शेयर्स खरीदने के लिए अथवा आइपीओ के अंतर्गत कर्मचारियों के कोटा के रूप में आरक्षित शेयरों की खरीद के लिए खरीद की कीमत के 90 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो, तक बैंक वित्त प्रदान कर सकते हैं। ईएसओपी/ आइपीओ के अंतर्गत कर्मचारियों के कोटा के लिए बैंकों द्वारा प्रदान किये गये वित्त को बैंकों की निवल मालियत के 40 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर पूंजी बाज़ार में किया गया एक्सपोज़र माना जाएगा। ये अनुदेश बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन/आईपीओ के अंतर्गत शेयरह्न के अर्जन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मामले में लागू नहीं होंगे, क्योंकि बैंकों को कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन /आईपीओ के अंतर्गत अथवा अनुषंगी बाज़ार से अपने बैंकों के शेयर खरीदने के लिए अग्रिम देने की अनुमति नहीं है, जिसमें उनके कर्मचारियों/उनके द्वारा स्थापित कर्मचारी न्यासों

को अग्रिम शामिल हैं। यह प्रतिबंध इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होगा कि अग्रिम जमानती हैं अथवा गैर-जमानती।

4.3.2 बैंकों को उधारकर्ता से एक घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें शेयरों तथा उपर्युक्त निर्दिष्ट अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अन्य बैंक /बैंकों से लिए गए ऋण / अग्रिम के ब्यौरे दर्शाए गए है ताकि उस प्रयोजन के लिए निर्धारित सीमाओं को अनुपालन सुनिश्चित हो।

4.3.3 अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्तावों (एफपीओ) को भी आइपीओ के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

4.4 शेयर दलालों (स्टाक ब्रोकर) और मार्केट मेकरों को शेयरों की जमानत पर अग्रिम

4.4.1 बैंक, अपने बोर्डों के अनुमोदन से, नीतिगत ढांचे के भीतर अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर स्टॉक दलालों और मार्केट मेकरों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि, अंतर-संबद्ध स्टॉक दलाली संस्थाओं और बैंकों के बीच उभरने वाली किसी साठ-गांठ से बचने के उद्देश्य से प्रत्येक बैंक के बोर्ड को पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर निम्नलिखित हेतु कुल अग्रिमों के लिए उप-उच्चतम सीमा निश्चित करनी चाहिए:

i. सभी शेयर दलाल और मार्केट मेकर (निधि आधारित और गैर निधि आधारित दोनों, अर्थात् गारंटियां); और
ii. किसी एकल स्टॉक दलाली संस्था हेतु, जिसमें उसकी सहायक संस्थाएं /अंतर-संबद्ध कंपनियां शामिल हैं ।

4.4.2 इसके अलावा बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों में आर्बिट्रेज ऑपरेशन्स् के लिए स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करनी चाहिए।

4.5 संयुक्त धारकों अथवा अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) हिताधिकारी को शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को बैंक का वित्तपोषण

संयुक्त नामों पर धारित शेयरों को जमानत पर संयुक्त धारकों अथवा अन्य पक्ष हिताधिकारियों को अग्रिम प्रदान करते समय बैंकों को सतर्क रहना चाहिए और

सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयरों तथा उपर्युक्त निर्दिष्ट अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण / अग्रिमों पर लगाई गई उपर्युक्त सीमाओं से बचने के लिए अन्य संयुक्त धारकों अथवा अन्य पक्ष हिताधिकारी को अग्रिम प्रदान करके विनियम का उद्देश्य व्यर्थ नहीं होता है।

4.6 म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की जमानत पर अग्रिम

म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करते समय बैंकों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए

i) यूनिट स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने चाहिए अथवा उधार देने के समय यूनिटों की पुनर्खरीद सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ।

ii) यूनिटों ने संबंधित योजना में निर्धारित की गई न्यूनतम अवरूद्धता अवधि को पूर्ण किया हो।

iii) निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्खरीद कीमत अथवा बाज़ार मूल्य इनमें से जो भी कम हो से सहलग्न होनी चाहिए तथा यूनिटों के अंकित मूल्य से नहीं ।

iv) म्युच्युअल फंडों की यूनिटों (पूर्णत: ऋण उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों को छोड़कर/की जमानत पर अग्रिमों पर शेयर तथा डिबेंचरों की जमानतपर दिए गए अग्रिमों को लागू होनेवाली मात्रात्मक तथा मार्जिन अपेक्षाएं लागू होंगी। तथापि पूर्णत: ऋण उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर व्यक्तियों को दिए जानेवाले ऋण तथा अग्रिमों के लिए मात्रात्मक तथा मार्जिन अपेक्षाओं को बैंक अपनी ऋण नीति के अनुसार अपने-आप निर्धारित करेंगे ।

v) अग्रिम प्रयोजन उन्मुख होने चाहिए जिन्हें देते समय निवेशक की ऋण आवश्यकता को विचार में लिया गया हो । म्युच्युअल फंड की अन्य योजना में अभिदान करने अथवा उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए अथवा शेयर/डिबेंचर/बांडों आदि की खरीद के लिए अग्रिम प्रदान नहीं किए जाने चाहिए ।

4.7 प्रवर्तकों के अंशदानों के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण

ये ऋण एकल / समूह उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले एक्सपोज़र मानदण्डों तथा ऊपर उल्लिखित कंपनियों में शेयरधारिता के संबंध में सांविधिक सीमा के भी अधीन होंगे ।

4.8 मार्जिन ट्रेडिंग

4.8.1 बैंक स्टॉक ब्रोकरों का मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्त प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक बैंक के बोर्ड को निम्नलिखित मानदंडों के अधीन मार्जिन ट्रेडिंग के लिए उधार देने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।

(i) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए प्रदान किया गया वित्त पूंजी बाज़ार में एक्सपोज़र के लिए निर्धारित की गई निवल मालियत के 40 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होना चाहिए।

(ii) मार्जिन ट्रेडिंग केलिए उधार दी गई निधियों पर 50 प्रतिशत की न्यूनतम मार्जिन रखनी चाहिए।

(iii) मार्जिन ट्रेडिंग से खरीदे गए शेयर अमूर्त स्वरूप के होने चाहिए और उधारदाता बैंक के पास गिरवी होने चाहिए। 50 प्रतिशत की मार्जिन की निगरानी करने तथा उसे निरंतर आधार पर बनाए रखने के लिए बैंक को एक समुचित प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मार्जिन ट्रेडिंग के संबंध में अंतर-संबद्ध स्टॉक ब्रोकिंग संस्थाओं /स्टॉक ब्रोकरों तथा बैंक के बीच कोई `सांठ-गांठ' नहीं उभरती है, बैंक के बोर्ड को आवश्यक रक्षोपाय निर्धारित करने चाहिए। बैंकों को मार्जिन ट्रेडिंग, स्टॉक ब्रोकरों तथा स्टॉक ब्रोकिंग संस्थाओं की उचित संख्या के बीच प्रसारित करना चाहिए।

4.8.2 बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को मार्जिन ट्रेडिंग के माध्यम से बैंकों के एक्सपोज़र की आवधिक निगरानी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त मानदंडों के अधीन बैंकों के बोर्ड द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दिए गए कुल वित्त को बैंक अपने तुलन पत्र के 'लेखा पर टिप्पणियां' में प्रकट करेंगे ।

4.9 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के बीच परस्पर पूंजी धारिता

4.9.1 (i)अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले निम्नलिखित लिखतों में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले ऐसे निवेश, जो निवेशिती बैंक

/वित्तीय संस्था के लिए उसकी पूँजी-स्थिति के लिए पात्र हैं, निवेशकर्ता बैंक की पूँजीगत निधियों (टीयर I और टीयर II पूँजी को मिलाकर) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए :

क. ईक्विटी शेयर;
ख. पूँजी स्थिति के लिए पात्र अधिमान शेयर;
ग. गौण ऋण लिखत;
घ. मिश्र ऋण पूँजी लिखत; और
ङ. पूँजी के रूप में अनुमोदित कोई अन्य लिखत

(ii) यदि ऐसे अर्जन द्वारा निवेशकर्ता बैंक /वित्तीय संस्था की धारिता निवेशिती बैंक की ईþक्वटी पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे बैंकों के ईक्विटी शेयरों में कोई नया निवेश न करें ।

(iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत धारित की गई अन्य बैंक में किसी बैंक/वित्तीय संस्था की ईक्विटी धारिताएं उपर्युक्त निर्धारित उच्चतम सीमा के दायरे के बाहर होंगी ।

4.9.2 बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में किये गये निवेशों को, पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए उनकी टीयर I पूंजी से घटा दिया जाता है। बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने वाले लिखतों में किये जाने वाले निवेश, जिन्हें पैरा 7 (i) पर ऊपर उल्लिखित किया गया है, जिन्हें निवेशकर्ता बैंक /वित्तीय संस्था की टीयर I पूंजी से नहीं घटाया जाता है, पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों हेतु ऋण जोखिम के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार वाले माने जायेंगे ।

5 शेयरों डिबेंचरों आदि के सार्वजनिक निर्गमों के लिए `सुरक्षा-तंत्र' योजनाएं

5.1 'सुरक्षा-तंत्र' योजनाएं

रिज़र्व बैंक ने यह देखा है कि कुछ बैंक / उनकी सहायक कंपनियां अपने व्यापारिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में कतिपय सार्वजनिक निर्गमों के संबंध में 'सुरक्षा-तंत्र' (सेफ्टी नेट) के नाम से पुन: क्रय (बाई-बैक) सुविधा प्रदान कर रही हैं। ऐसी योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी समय मूल निवेशकों से, विद्यमान बाजार मूल्य पर ध्यान दिये बिना निर्गम के समय

पर निर्धारित मूल्य पर संगत प्रतिभूतियां खरीदने की वचनबद्धताओं से, बड़े एक्सपोज़र ले लिये जाते हैं। कुछ मामलों में ऐसी योजनाएं उस कंपनी की ओर से, जिसके निर्गम इन योजनाओं में समर्थित होते हैं, बिना किसी अनुरोध के ही अपनी ओर से प्रस्तावित की जाती हैं। प्रत्यक्ष रूप में जारीकर्ताओं की ओर से इन प्रतिभूतियों को खरीदने का कोई वचन नहीं होता है । इसके अलावा इन योजनाओं में जितना जोखिम होता है, उसके अनुपात में आय नहीं होती है, क्योंकि निवेशक इन योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित सुविधाओं का इस्तेमाल तभी करेगा जब इन प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य से नीचे गिर जायेगा । अत: बैंकों/उनकी सहायक कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे ऐसे 'सुरक्षा-तंत्र' की सुविधाएं प्रस्तावित न करें, भले इन सुविधाओं का नाम चाहे जो हो।

5.2 पुन: क्रय सुविधाओं का प्रावधान

कुछ मामलों में निर्गमकर्ता, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में एक वर्ष की अवरुद्धता अवधि के पश्चात् उनके द्वारा जारी डिबेंचरों में चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए मूल निवेशकों को 40,000 रुपये तक की पुन: क्रय (बाई बैक) सुविधा प्रदान करते हैं । यदि निर्गमकर्ता के अनुरोध पर बैंक या उनकी सहायक कंपनियां यह आवश्यक समझे कि नये निर्गमों में अभिदान करने वाले छोटे निवेशकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाए, तो ऐसी पुन: क्रय (बाई बैक) व्यवस्था में उक्त प्रतिभूतियों को पूर्व निर्धारित मूल्यों पर खरीदने की वचनबद्धता शामिल नहीं होनी चाहिए। शेयर बाजार के मौजूदा मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूतियों के लिए समय-समय पर मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए। वचनबद्धताएं राशि की दृष्टि से कुल निर्गम के एक सामान्य अनुपात तक सीमित भी की जानी चाहिए और बैंकों/उनकी सहायक कंपनियों की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । ये वचनबद्धताएं समय-समय पर निर्धारित की गयी या निर्धारित की जानेवाली समग्र जोखिम सीमाओं के अधीन भी होंगी ।

अनुबंध 1

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची

(दूसरी पार्टी का जोखिम - कंपनियों के बांडों की गारंटी देने वाली संस्थाओं की सूची)

[देखें पैराग्राफ 2.1.3.4 (ग)]

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड
2. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड
3. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड
4. जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड
5. भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी लिमिटेड
6. विद्युत वित्त निगम लिमिटेड
7. राष्ट्रीय आवास बैंक
8. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
9. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
10. भारतीय रेलवेज़ वित्त निगम लिमिटेड
11. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
12. भारतीय निर्यात आयात बैंक
13. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनैंस कंपनी लिमिटेड
14. आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड
15. इंडियन रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड

अनुबंध 2

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची

[बैंकों द्वारा ईक्विटी / बांडों में निवेश - उन वित्तीय संस्थाओं की सूची जिनके लिखतों को पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र उच्चतम सीमा से छूट है]

[देखें पैराग्राफ 2.3.4.(i)]

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड
2. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड
3. जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड
4. भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी लिमिटेड (टी डी आइ सी आइ)
5. राष्ट्रीय आवास बैंक
6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
8. भारतीय निर्यात आयात बैंक
9. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक
10. भारतीय जीवन बीमा निगम
11. भारतीय साधारण बीमा निगम

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र - 'ऋण आदि जोखिम (एक्सपोज़र) संबंधी मानदण्ड'
परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम संख्या	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 97/21.04.132/2013-14	26.02.2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के संबंध में दिशानिर्देश
2.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/21.06.102/2013-14	11.02.2014	समूह के भीतर लेनदेन और एक्सपोजरों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश
3.	बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 82/21.06.217/2013-14	07.01.2014	केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए (सीसीपी) बैंक का एक्सपोजर - अंतरिम व्यवस्था
4.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 62/21.04.03/2012-13	21.11.2012	मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा -अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए) तथा आस्तियों की पुनर्रचना
5.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 61/21.04.03/2012-13	21.11.2012	मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा - कंपनियों के अरक्षित (अनहेज़्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर
6.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 76/21.04.103/2011-12	02.02.2012	मौद्रिक नीति 2011-12 की दूसरी तिमाही समीक्षा- कार्पोरेट के बिना हेज़ किये गये विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र
7.	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	21.12.2011	साख पक्ष के अन्तर्गत भुनाये गये बिल- एक्सपोज़र मानदंड
8.	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	20.06.2011	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 25 का

			निहितार्थ- 1जुलाई 2010 के एक्सपोज़र मानदंड पर मास्टर परिपत्र के पैरा 2.2.3.2(**iii**) में संशोधन
9.	ए.पी(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.54	29.04.2011	म्यूच्यल फंडों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से स्टॉक एक्स्चेंज के पक्ष में
10.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 48/ 21.06.001/2010-11	01.10.2010	बैंको के तुलन-पत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड-काउंटरपार्टी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग
11.	बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. 41/13.03.00/2010-11	21.09.2010	पूंजी बाजार एक्सपोजर में शामिल न की गई मदें ।
12.	बैंपविवि. सं.डीआईआर. बीसी. 74/21.04.172/ 2009-10	12.02.2010	मूलभूत सुविधाएं वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी में बैंक के एक्सपोजर के संबंध में जोखिम भार तथा एक्सपोजर मानदंड
13.	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	9.11.2009	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं में बैंक का एक्सपोजर
14.	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	18.12.2008	एक्सक्लूजन ऑफ एक्सपोजर टू ब्रोकर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ करेंसी डिरिवेटिव सेगमेंट फ्रोम कैपिटल मार्केट एक्सपोजर
15.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/21.04.103/2008-09	10.12.2008	ग्राहकों का अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर - बैंकों द्वारा निगरानी
16.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 31/21.04.157/2008-09	08.08.2008	बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
17.	बैंपविवि. सं. डीआईआर.बीसी 87/13.27.00/2007-08	29.05.2008	एक्सपोजर मानदंड
18.	बैंपविवि. सं. आइबीडी. बीसी. 96/23.37.001/2006-07	10.05.2007	वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - भारतीय

			कंपनियों की विदेशी स्टेप डाउन अनुषंगी संस्थाओं को ऋण सुविधाएं प्रदान करना
19.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 51/13.03.00/2006-07	09.01.2007	पण्य बाजारों में बैंक का एक्सपोजर - मार्जिन अपेक्षाएं
20.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 47/13.07.05/2006-07	15.12.2006	पूंजी बाजारों में बैंक का एक्सपोजर - मानदंडों का सरलीकरण
21.	बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 46/24.01.028/ 2006-07	12.12.2006	सर्वांगी महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय विनियमन तथा बैंकों के साथ उनके संबंध
22.	बैंपविवि. सं. आइबीडी. बीसी. 41/23.37.001/2006-07	6.11.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों/पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं को निधिक तथा निधीतर ऋण सुविधाएं प्रदान करना - वृद्धि
23.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 30/21.01.002/2006-07	20.09.2006	विशेष आर्थिक क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों के अभिग्रहण करने के लिए कंपनियों में बैंकों का एक्सपोजर
24.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 27/21.01.002/2006-07	23.08.2006	विवेकपूर्ण मानदंड - उद्यम पूंजी निधियों में बैंक का निवेश - विवेकपूर्ण मानदंड
25.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 84/21.01.002/2005-06	25.05.2006	वर्ष 2006-07 का वार्षिक नीति वक्तव्य - वाणिज्यिक स्थावर संपदा तथा उद्यम पूंजी निधियों में एक्सपोजर पर जोखिम भार
26.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/21.03.054/2005-06	24.03.2006	साख पत्र के अंतर्गत भुनाए गए बिल - जोखिम भार तथा एक्सपोजर मानदंड

27.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 65/08.12.01/2005-06	1.03.2006	स्थावर संपदा क्षेत्र में बैंक का एक्सपोजर
28.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 3/ 21.01.002/2004-05	06.07.2004	पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड -बैंको /वित्तीय संस्थाओं के बीच पूंजी की परस्पर धारिता
29.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 100/21.03.054/2003-04	21.06.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों के ऋण एक्सपोज़रों की विवेकपूर्ण सीमाएं
30.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 97/21.04.141/2003-04	17.06.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - गैर जमानती एक्सपोज़रों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
31.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 51/21.04.103/2003-04	5.12.2003	वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा - कंपनियों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र
32.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/21.04.048/2002-03	23.04.2003	प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्माण की गई) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री तथा संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश
33.	बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 94/23.37.001/ 2002-03	08.04.2003	विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं को ऋण/ऋणेतर सुविधाएं प्रदान करना तथा भारत स्थित बैंकों द्वारा विदेशी पार्टियों को क्रेता की साख पर उधार तथा एक्सेप्टंस वित्त प्रदान करना

34.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 72/21.04.018/2002-03	25.02.2003	समेकित लेखांकन तथा समेकित पर्यवेक्षण को सुकर बनाने के लिए अन्य मात्रात्मक पद्धतियों के संबंध में दिशानिर्देश
35.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 66/24.01.022/ 2002-03	31.01.2003	शेयर तथा डिबेंचरों का सार्वजनिक निर्गम - वाणिज्यिक बैंकों की मर्चंट बैंकिंग सहायक संस्थाओं द्वारा हामीदारी
36.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.03.054/2002-03	13.12.2002	डेरिवेटिव उत्पादों के ऋण एक्सपोज़र की गणना
37.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 17/21.04.137/2002-03	16.08.2002	भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विनिवेशों के लिए बैंक वित्त संबंधी दिशानिर्देश
38.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 6/13.07.05/02-03	22.07.2002	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी की गई ईक्विटीज/बाण्डों में निवेश
39.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 2/ 21.01.002/02-03	05.07.2002	मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड
40.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 47/21.03.54/2001-02	22.11.2001	एकल/समूह उधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोज़र की सीमा
41.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 45/21.04.137/01-02	15.11.2001	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बैंक का वित्तपोषण
42.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 37/21.04.103/2001-02	27.10.2001	मौद्रिक तथा ऋण नीति उपाय - कंपनियों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र
43.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 27/21.04.137/2001	22.09.2001	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बैंक का वित्तपोषण
44.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 116/21.04.048/2000-01	02.05.2001	मौद्रिक तथा ऋण नीति आय - 2001-2002
45.	बैंपविवि. सं. बीपी. 1577/ 21.03.054/2000	24.01.2000	ऋण एक्सपोज़र की विवेकपूर्ण
46.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 121/21.04.124/99	03.11.1999	मौद्रिक तथा ऋण नीति उपाय

47.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99	24.04.1999	मौद्रिक तथा ऋण नीति उपाय
48.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी.13/13.07.05/99	23.02.1999	कार्पोरेट निकायो के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
49.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 2/13.07.05/99	29.01.1999	तात्कालिक/पूरक ऋण
50.	बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 104/23.37.001/98-99	12.11.1998	तात्कालिक/पूरक ऋण
51.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.01.002/98	31.10.1998	मौद्रिक तथा ऋण नीति उपाय
52.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 78/13.07.05/98-99	08.08.1998	कार्पोरेट निकायो के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
53.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 36/13.03.00/98	29.04.1998	मौद्रिक तथा ऋण नीति उपाय
54.	आइईसीडी सं. 13/ 08.12.01/97-98	27.10.1997	बैंकों द्वारा तात्कालिक ऋण सुविधा प्रदान करना
55.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 138/13.07.05/97-98	21.10.1997	कार्पोरेट निकायो के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
56.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 99/21.03.054/97	02.09.1997	एकल/समूह उधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोज़र संबंधी सीमाएं
57.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 60/13.07.05/97	28.05.1997	कार्पोरेट निकायो के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
58.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 43/13.07.05/97	15.04.1997	शेयरों की जमानत पर अग्रिम
59.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 42/13.07.05/97	15.04.1997	एकल/समूह उधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोज़र संबंधी सीमाएं - मीयादी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम
60.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.	19.12.1996	एकल/समूह उधारकर्ताओं को

	161/21.03.054/96		ऋण एक्सपोज़र संबंधी सीमाएं - मीयादी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम
61.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 148/13.07.05/96	18.11.1996	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किए गए बाण्डों में निवेश
62.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 145/13.07.05/96	25.10.1996	कंपनी निकायों के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश
63.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 109/21.03.053/96	09.08.1996	जमा प्रमाणपत्र योजना
64.	बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 54/23.61.001/96	18.04.1996	एकल/समूह उधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोज़र संबंधी सीमाएं
65.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 13/21.01.002/96	08.02.1996	पूंजी पर्याप्तता उपाय
66.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 86/24.01.001/95-96	17.08.1995	हामीदारी आदि के संबंध में प्रतिबद्धताएं, दायित्व
67.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 69/13.07.05/95	28.06.1995	कार्पोरेट निकायों के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
68.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 38/13.07.05/95	04.04.1995	कार्पोरेट निकायों के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
69.	बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 29/23.06.001/95	20.03.1995	भारतीय कारोबार में विदेशी निधियों का अभिनियोजन
70.	बैंपविवि. सं. 28/13.07.05/ 95	10.03.1995	कार्पोरेट निकायो के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
71.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 1/13.07.05-95	06.01.1995	अपनी खुदकी कंपनियों में शेयर्स खरीदने के लिए कर्मचारियों को सहायता देने के लिए बैंक वित्त संबंधी दिशानिर्देश
72.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 151/13.07.05/94	28.12.1994	एकल/समूह उधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोज़र पर सीमाएं - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

			द्वारा जारी बाण्डों तथा वाणिज्यिक पेपर में निवेश तथा उनकी हामीदारी
73.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 133/21.03.054/94	11.11.1994	एकल/समूह उधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोज़र पर सीमाएं - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी बाण्डों तथा वाणिज्यिक पेपर में निवेश तथा उनकी हामीदारी
74.	बैंपविवि. सं. 524/ 23.61.001/94-95	25.10.1994	एकल/समूह उधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोज़र संबंधी सीमाएं
75.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 124/13.07.05/94	22.10.1994	कार्पोरेट निकायों के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
76.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 97/21.01.023/94	19.08.1994	कार्पोरेट निकायों के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
77.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 61/13.07.05/94	18.05.1994	कार्पोरेट निकायों के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
78.	बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 52/23.01.001/94	04.05.1994	ईक्विटी सहभागिताओं का वित्तपोषण करने वाले विदेशी उद्यमों में भारतीय निवेश
79.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 36/21.03.054/94	30.03.1994	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी बाण्डों तथा वाणिज्यिक पेपर्स में निवेश तथा उनकी हामीदारी-एकल/समूहउधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोज़र पर सीमाएं
80.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 18/24.01.001/93-94	19.02.1994	उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद, आढ़त (फैक्टरिंग) आदि गतिविधियां
81.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 4/13.07.05-94	25.01.1994	उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद, आढ़त (फैक्टरिंग) आदि

			गतिविधियां
82.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 3/13.07.05-94	24.01.1994	उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद, आढ़त (फैक्टरिंग) आदि गतिविधियां
83.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 211/21.01.001-93	28.12.1993	कुछ क्षेत्र को ऋण संबंधी प्रतिबंध स्थावर संपदा ऋण
84.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 176/13.07.05-93	11.10.1993	कुछ क्षेत्र को ऋण संबंधी प्रतिबंध स्थावर संपदा ऋण
85.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 145/13.07.05/93	30.07.1993	हामीदारी कार्य - हामीदारों पर दायित्व
86.	अ. शा. आइईसीडी. सं. 2/ सीएमडी. जीए/जीईएन/92-93	04.07.1992	समूह दृष्टिकोण
87.	आइईसीडी. सं. 7/सीएमडी. जीए/जीईएन/91-92	29.07.1991	समूह खाते
88.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 51/सी.96 (एसडी/पीएसबी) - 90	26.11.1990	कंपनियों के शेयर तथा डिबेंचर तथा सार्वजनिक क्षेत्र बाण्ड धारण करना
89.	आइईसीडी. सं. आइआरडी. 24/आइआर-ए/90-91	23.11.1990	बीमार/कमजोर औद्योगिक ईकाइयों का पुनर्वास - एकल बैंक के एक्सपोज़र पर निर्धारित की गई मौजूदा सीमाओं को लागू करने से छूट
90.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 35/सी.96 (ज़ेड) - 90	22.10.1990	बैंक गारंटी योजना
	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 27/सी.96(ज़ेड)-90	29.09.1989	शेयर, डिबेंचरों आदि के सार्वजनिक निर्गम के लिए `सेफ्टी नेट' योजनाएं
91.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 26/सी.496-89	29.09.1989	शेयर डिबेंचरों आदि के सार्वजनिक निर्गम के संबंध में प्रतिबद्धताएं
92.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 132/66-89	26.05.1989	एकल/समूह उधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोज़र संबंधी सीमाएं
93.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 103/सी. 347	03.04.1989	कार्पोरेट निकायो के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी

	(पीएसबी)-89		हामीदारी
94.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 85/सी. 347 (पीएसबी)-89	01.03.1989	कंपनियों के शेयर तथा डिबेंचर तथा सार्वजनिक क्षेत्र बाण्ड धारण करना
95.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 153/सी.347 (पीएसबी)-88	18.06.1988	सार्वजनिक क्षेत्र के बाण्डों की धारिताओं में निवेश
96.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 106/सी. 96 (एस एंड डी)-88	17.03.1988	अपनी खुद की कंपनियों में शेयर्स खरीदने के लिए कर्मचारियों को सहायता देने के लिएबैंक वित्त संबंधी दिशानिर्देश
97.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 91/सी. 347 (पीएसबी)-88	06.02.1988	कंपनियों के शेयर तथा डिबेंचर तथा सार्वजनिक क्षेत्र बाण्ड धारण करना
98.	बैंपविवि. सं. आइबीएस. 130/13-88	20.01.1988	विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यमों का वित्तपोषण
99.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 21/सी. 347 (पीएसबी)-87	11.08.1987	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी बाण्डों तथा वाणिज्यिक पेपर्स में निवेश तथा उनकी हामीदारी
100.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 61/सी. 347 (पीएसबी)-87	09.06.1987	कार्पोरेट निकायों के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
101.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 60/सी. 347 (पीएसबी)-87	08.06.1987	कार्पोरेट निकायों के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी
102.	बैंपविवि. सं. जीसी. बीसी. 55/सी.408 सी (पी)-87	28.05.1987	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी बाण्डों तथा वाणिज्यिक पेपर्स में निवेश तथा उनकी हामीदारी
103.	बैंपविवि. सं. जीसी. बीसी. 131/सी.408 सी (पी)-86	25.11.1986	कार्पोरेट निकायों के शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश तथा उनकी हामीदारी

104.	बैंपविवि. सं. एससीएच.68/ सी.109-72	31.07.1972	बैंक गारंटी योजना
105.	बैंपविवि. सं. 666/सी.96 (ज़ेड)-67	03.05.1967	बैंक गारंटी योजना